प्रेषक-

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हाथरस।

सेवामें,

जिला पूर्ति अधिकारी
हाथरस।

विषय– उप महाप्रबन्धक–रिटेल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, आगरा द्वारा खसरा संख्या–1096, सहपऊ, सादाबाद–जलेसर रोड, सादाबाद, जनपद हाथरस पर नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा विषयक आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

संन्दर्भ– आपका पत्रांक 464/जि0पू0अ0–पेट्रो0अनु0/2022 दिनांक 12.05.2022

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम मे खसरा संख्या–1096, सहपऊ, सादाबाद–जलेसर रोड, सादाबाद, जनपद हाथरस पर प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट स्थल का अग्निसुरक्षा एंव पेट्रोलियम एक्ट 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 तथा ओ0आई0एस0डी0–225 के मानकों के अनुरूप अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, सादाबाद, हाथरस श्री विजेन्द्र सिंह द्वारा निरीक्षण एंव परीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

1. प्रस्तावित स्थल आगरा रोड से सादाबाद–जलेसर रोड (के0एम0 स्टोन न0–48 से 633.40 मी0 दूरी) पर स्थित है। जहां पर अग्निशमन के सभी वाहन आसानी से पहुँच सकते हैं।
2. मानचित्र में लेआउट प्लान के अनुसार प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन की भूमि का क्षेत्रफल 1296.00 वर्गमीटर है।
3. मानचित्र के ले–आउट प्लान मे 22 के0एल0 एव 16 के0एल0 क्षमता के 02 अदद पेट्रोल (एमएस0) एंव 01 अदद हाई स्पीड डीजल (एचएसडी0) भूमिगत टैंक प्रस्तावित है।
4. मानचित्र के लेआउट प्लान में CNG AREA PROPOSED प्रदर्शित किया गया है, जिसे स्थापित कराये जाने से पूर्व अग्निशमन दृष्टिकोण से पुन. आख्या प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
5. प्रस्तावित टैंकों के ऊपर 04 मीटर ऊँचाई के अलग अलग वेन्ट पाइप प्रस्तावित है।
6. पेट्रोलियम/फिलिंग स्टेशन हेतु 12 मीटर चौडाई के एक–एक प्रवेश एंव निकास मार्ग प्रस्तावित है।

<u>प्रस्तावित व्यवस्था एंव अग्निशमन प्रणाली</u>

1. सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस0–2148–1646 व आई0एस0–5572 के मानकों के अनुरूप किया जाय तथा विद्युत वायरिंग में ई0एल0सी0बी0/एम0सी0बी0 का प्रयोग किया जाये।
2. प्रत्येक टैंक के लिए अलग–अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाए जो आपस में जुडी नही होना चाहिए एंव ऊँचाई 4 मी0 होनी चाहिए तथा उसके चारो तरफ 4 मी0 में कोई निर्माण कार्य नही होना चाहिए।
3. मानचित्र में बाउन्डरी वॉल की ऊंचाई 1.20 मीटर है। किन्तु अग्निशमन दृष्टिकोण से बाउन्ड्री वॉल की ऊचाई 03 मीटर आवश्यक होगा।
4. वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम 2002 एंव OISD-225 के मानक के अनुरूप होना चाहिए।
5. टैंक में तेल भरते समय टैंक डिस्पेंसर व लारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वर्जित होगा।
6. लारी/तेल टैंकर से तेल ड्रेन करते समय उसकी अर्थिंग किया जाना अति आवश्यक होगा।
7. स्टोरेज के पास फायर बकेट बालू से भरी हुई 12 अदद मय स्टैण्ड रखी जायें।
8. डिस्पेंसर यूनिटों के पास दो–दो अदद आई0एस0 मार्क ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स क्षमता 9 किलोग्राम के रखे जायें समस्त अग्निशमन यन्त्रों को सदैव कियाशील दशा में रखने एंव उनका रख–रखाव नियमानुसार किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकों का होगा।
9. इलेक्ट्रिकल उपकरणों के पास आई0एस0 मार्क कार्बनडाई आक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2 अदद क्षमता 4.5 कि0ग्रा0 के रखे जायें।
10. डीजल जनरेटर सेट के पास आई0एस0 मार्क ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2 अदद 6 कि0ग्रा0 क्षमता एव दो अदद 9 लीटर क्षमता के मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्यूशर्स आई0एस0 मार्क के रखे जाये और D.G Sets के स्टैक Hight नियमानुसार होना चाहिए एंव टैंक के वेन्ट से उचित दूरी होनी चाहिए।
11. सेल्सरूम एंव ल्यूबरूम में ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 06 के0जी0 के 01–01 अदद एंव इलेक्ट्रिकल पैनल के पास सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 के0जी0 के 01 अदद रखा जाना अनिवार्य होगा।

Petrol pump

ADITYA VIKRAM SINGH
Dy. General Manager-Retail
and Duty Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprises)

(डा० चन्द्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस
दिनांक ....

सबमर्सिबल पम्प को जनरेटर से जोड़ा जाये व पम्प पर एक लगातार 63 एम०एम० की मेल कपलिंग / हाइड्रेंट लगाया जाय जिससे अग्निशमन के वाहन आवश्यकता पड़ने पर पानी प्राप्त कर सकें।

13 लाइसेरा एरिया में जंक्शन बाक्स के साथ सभी लाइट फ्लेम प्रूफ होनी चाहिए।

14 प्रत्येक डिस्पेंसर यूनिट पर इमरजेंसी स्टाप स्विच होना चाहिए।

15 इमरजेंसी प्लान OISD-225 के अनुसार होना चाहिए।

16 पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग OISD-225 के अनुसार होनी चाहिए।

17 पेट्रोल पम्प पर **धूम्रपान निषेध** के बोर्ड लगे होने चाहिए।

18 फायर स्टेशन का टेलीफोन / मो०नं० 9454418490, 9454418491 और पुलिस कन्ट्रोल रूम का फोन नं० 112 बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से अंकित होना चाहिए।

19 प्रवेश / निकास द्वार प्रकाशित होने चाहिए, जिससे रात्रि के समय वाहन के आने जाने में कोई असुविधा न हो।

20 ग्राहको की जागरूकता के लिए निम्न सुरक्षा निर्देशों को बोर्ड पर अंकित कर लटकाये

(अ) तेल भरने से पहले वाहन का इंजन बंद कर लें।

(ब) धूम्रपान न करें।

(स) मोबाइल बंद रखे।

21 रिटेल आउटलेट में स्थापित किये गये सभी प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की टेस्टिंग फीस प्रतिवर्ष राजकीय कोष में जमा कराना अनिवार्य होगा तथा विभागीय अग्निशमन अधिकारी से प्रतिवर्ष निरीक्षण करवाकर अग्निशमन प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।

22. मानचित्र में अंकित NOTS में अंकित बिन्दु संख्या 1–24 तक का पूर्णतया पालन किया जाये।

अतः उपरोक्त ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए पेट्रोलियम एक्ट 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 एंव OISD-225 में उल्लेखित नियमों का कड़ाई से पालन किये जाने तथा सम्पूर्ण निर्माण हो जाने के उपरान्त उपयोग से पहले अग्निशमन दृष्टिकोण से पुनः निरीक्षण कराया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा निर्गत आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

अतएव उपरोक्त शर्तों के अनुसार खसरा संख्या 1096, सहपऊ, सादाबाद- जलेसर रोड, सादाबाद, जनपद हाथरस पर नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्निसुरक्षा विषयक आख्या संस्तुति सहित सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक–मानचित्र।

पत्र सं0 सीएफओ0–हाथरस / पेट्रो0–आख्या / 2022 / 127
दिनांक: 30/05/2022

(ए०के०सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हाथरस

(डा० चन्द्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस
दिनांक 2/8/23

ADITYA VIKRAM SINGH
Dy. General Manager-Retail
and Duty Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprises)